

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

हीरालाल पिता सांवला भीणा नि. नाडिया बाबाजी का खंडा
बनाम

गोपाल पिता रूपा लुहार नि. धौड वगैरा

फिरम मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1346 / 2021

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम की हुकम की तारीख में जारी हुक |
|------------|--|---|
| ०६.12.21 | <p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम धौड प. ह. धौड तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 916 रकबा 1.04 बीघा, आ. न. 222 रकबा 0.04 बीघा, आ. न. 721 रकबा 1.09 बीघा, आ. न. 221 रकबा 0.05 बीघा, आ. न. 522/1 रकबा 1.00 बीघा, आ. न. 917 रकबा 0.10 बीघा, आ. न. 918 रकबा 0.08 बीघा, आ. न. 919 रकबा 0.14 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। सीमा चिन्हों को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते हैं। आये दिन खेत के अपनी कृषि आराजियात की स्थाई सीमा चिन्हों की जानकारी नहीं होने के कारण आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम धौड प. ह. धौड तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 916 रकबा 1.04 बीघा, आ. न. 222 रकबा 0.04 बीघा, आ. न. 721 रकबा 1.09 बीघा, आ. न. 221 रकबा 0.05 बीघा, आ. न. 522/1 रकबा 1.00 बीघा, आ. न. 917 रकबा 0.10 बीघा, आ. न. 918 रकबा 0.08 बीघा, आ. न. 919 रकबा 0.14 बीघा की बसामलाल पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 06.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा) </p> | |